साइबर अपराध में 'टाइम लॉस्ट कॉस्ट' ज्यादा खतरनाक

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आईजीआई) पर 2011 में सायबर अपराध का एक मामला सामने आया। आईजीआई बहुत व्यस्त एयरपोर्ट है। यहां से रोज 900 विमानों का परिचालन होता है और करीब एक लाख यात्री यहां आते हैं। 2011 में एयरपोर्ट के आईटी विभाग के प्रमुख को सेवा से हटा दिया गया था। सामान्यतौर पर जब किसी बड़े संस्थान से किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है या वह नौकरी छोड़ता है, तो उसके कम्प्यूटर का पासवर्ड अपने आप रिसैट हो जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस कर्मचारी के कम्प्यूटर का पासवर्ड अपने आप रिसैट नहीं हुआ। यह एक छोटी सी त्रुटि थी लेकिन आईजीआई एयरपोर्ट को इस छोटी सी त्रुटि की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। बेंगलुरू का रहने वाला यह कर्मचारी नौकरी से निकाले जाने से बहुत गुस्से में था। अपने गुस्से के कारण यह व्यक्ति एक इंटरनेट कैफे में गया और इसने आईजीआई एयरपोर्ट के कम्प्यूटर सिस्टम पर वायरस का हमला कर दिया। दरअसल, चूंकि इस व्यक्ति का पासवर्ड नहीं बदला गया था, इस कारण यह व्यक्ति इंटरनेट कैफे से अपना अकाउंट लॉग इन कर सका। इसके बाद इसने पूरे नेटवर्क पर वायरस अटैक कर दिया। इस हमले के कारण एयरपोर्ट के अलग-अलग कम्प्यूटर बंद होना शुरू हो गए। इनमें यात्रियों का चैक इन, सामान हैंडल करना, यात्रियों की जानकारी का सिस्टम, सुरक्षा जांच आदि सभी सिस्टम शामिल थे। कुछ ही मिनटों में पूरा एयरपोर्ट बंद पड़ गया। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को परेशानी से बचाने और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हाथ से लिखे बोर्डिंग पास की व्यवस्था की, लेकिन यह सब निरर्थक साबित हुआ। सिस्टम बैठ जाने से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर आपाधापी मच गई।

वरुण कपूर
आईपीएस

इसके बाद प्रशासन ने केपीएमजी के साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया। इन विशेषज्ञों ने कम्प्यूटर सिस्टम से वायरस को हटाया और सिस्टम को फिर से चालू किया, लेकिन इस प्रक्रिया में 24 घंटे लग गए। इस दौरान एयरपोर्ट पर काम करने वाली कंपनी को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान को 'टाइम लॉस्ट कॉस्ट' कहते हैं, हालांकि बाद में इस कर्मचारी को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया।

आज के समय में साइबर अपराध (कम्प्यूटर के जरिए किसी तरह के अपराध को अंजाम देना) तेजी से बढ़ रहे हैं। हैकर्स किसी संस्था या व्यक्ति के कम्प्यूटर में सेंध लगाकर जरूरी डेटा, बैंक अकाउंट की जानकारी, गोपनीय सूचनाएं आदि चुरा लेते हैं। इससे उस संस्था या व्यक्ति को काफी नुकसान पहुंचता है। यह नुकसान धन के रूप में या फिर उसकी छवि को हानि पहुंचने के रूप में हो सकता है।

एंटी-वायरस संस्था 'नोरटन' ने वर्ल्ड साइबर क्राइम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के साइबर अपराधों में दो तरह से नुकसान होते हैं। यहां नुकसान से मतलब साइबर क्राइम से होने वाले 'कैश कॉस्ट' और 'टाइम लॉस्ट कॉस्ट' से है।

कैश कॉस्ट से मतलब ऐसे धन से है, जो साइबर अपराधी आम नागरिकों से अलग-अलग तरह के साइबर क्राइम के जरिए चुराते हैं। नोरटन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में साइबर क्राइम के जरिए होने वाला नुकसान 388 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 27 लाख करोड़ रुपए) का है। इसमें से 114 बिलियन डॉलर है धन के रूप में और 274 बिलियन डॉलर 'टाइम लॉस्ट कॉस्ट' है।

यह है 'टाइम लॉस्ट कॉस्ट'

'टाइम लॉस्ट कॉस्ट' का सीधा सा मतलब, उस धन की हानि से है, जो किसी वायरस या साइबर हमले में कम्प्यूटर सिस्टम खराब हो जाने या बंद पड़ जाने पर समय नष्ट होने के कारण होती है। दरअसल, समय ही धन है और कम्प्यूटर नेटवर्क बंद पड़ जाने से अगर समय नष्ट हुआ, तो जो पैसा उस दौरान आना था, वह भी रूक गया यानी पैसा नहीं मिला। इसे आम भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे अगर आप कम्प्यूटर पर बैठकर कोई लेन-देन कर रहे हैं और उसी समय हैकर्स आपके कम्प्यूटर से छेड़छाड़ कर देते हैं, तो आपका लेन-देन पूरा नहीं हो पाता और जो पैसा उस दौरान आपको मिलने वाला था, वह आपको नहीं मिल पाता- यह टाइम लॉस्ट कॉस्ट है।

(लेखक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर इंदौर में पदस्थ हैं और विचार उनके व्यक्तिगत हैं)
ईमेल: varunkapoor170@gmail.com